कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,कानपुर नगर।

पत्रॉंक–/प्राइमरी मान्यता/ 6041-49 /2012–13 दिनॉंक : 31.7.2012

प्रबंधक,
श्रीराम एजूकेशन सेन्टर,
831 बी0 ब्लाक, पनकी, कानपुर नगर।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं श्रीराम एजुकेशन सेन्टर, 831 बी0 ब्लाक, पनकी, कानपुर नगर को दिनॉंक 01.08.2012 से दिनॉंक 31.07.2015 तक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक **(अंग्रेजी माध्यम)** के लिए मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने क अध्यधीन हैः–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध–1)निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010(उपाबंध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा–1 में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4– पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिगं प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

(1)– प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(2)– किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

(3)– प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4)– प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)– अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6)– अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।

(7)–अध्यापक अधिनियम की धारा 24 के अधीन विर्निष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

(8)–अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:–

क0सं0	प्रसुविधा का नाम	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	6396 वर्ग मीटर
2	कुल निर्मित क्षेत्र	4443.34 वर्गमीटर ग्राउन्ट फ्लोर, 4443.34 वर्ग मीटर प्रथम तल
3	क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	2000 वर्ग मीटर
4	कक्षाओं की संख्या	20
5	प्रध्यापक – सह कार्यालय– सह भण्डारागार के लिये कक्ष	5
6	बालक / बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	8 / 6
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिबल पम्प
8	मिड–डे–मील पकाने के लिये रसोई	लागू नहीं
9	बाधा रहित पहुँच	सडक मार्ग पर स्थित
10	अध्यापक पठ्न सामग्री / क्रीडा खेल–कूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता	मानकानुसार उपलब्ध

9– विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।

10– विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाएगा।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या ततसमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि , व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जाएगा।

13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकान्टेंट द्वारा सम्प्रीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे प्रषित किया जाना अनिवार्य होगा।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **कक्षा1 से कक्षा 5 / अंग्रेजी / 05 / 2012–13** है, कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है।जो मान्यता संबंधी शर्तो के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16 – सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाय।

17– संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(राजकुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पृ0सं0 / प्राइमरी मान्यता / / 2012–13 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नाँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– शिक्षा निदेशक (बे0)उत्तर प्रदेश निशात गंज लखनऊ।
2– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3– सचिव बेसिक शिक्षा पाषिद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)कानपुर मण्डल कानपुर।
5– जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
6– अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
7– पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
8– नगर शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
9– संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।